कार्यालय अध्यक्ष–एवं–उप मण्डल दण्डाधिकारी, नलवाड एवं देवता मेला समिति, धर्मपुर, जिला मण्डी, हि0प्र0

कमांक–उ0म0अ0(ना0) धर्मपुर/ मेला/2025–2316-21 दिनांक 27 मार्च, 2025

"निविदा सूचना"

नलवाड एवं देवता मेला–2025 जो दिनांक 04 अप्रैल, 2025 से 09 अप्रैल, 2025 तक मनाया जा रहा है उपरोक्त मेले के दौरान **कॉलेज मैदान धर्मपुर व सॉंई भवन के साथ डोम (लगभग 1000 वर्ग मीटर), झूले (लगभग 1000 वर्ग मीटर) व लगभग 200 अस्थाई दुकानों हेतू खुली नीलामी/बोली दिनांक 29.03.2025 को प्रातः 11 बजे** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आयोजित की जाएगी। डोम, झूले व अस्थाई दुकानों की स्थापना मेला कमेटी द्वारा उपलब्ध करवाए गए नक्शा के अनुसार की जाएगी। अतः उक्त कार्यो की बोली हेतु अनुभवी व्यक्तियों/फर्मो से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित होने का आग्रह किया जाता है। टैंडर फार्म मु0 500/–(Non Refundable) के भुगतान पर इस कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

नियम व शर्ते

1. बोलीदाता को धरोहर राशि मुबलिक 5,00,000/– रूपये (पांच लाख रूपये) बैंक ड्राफट द्वारा दिनांक 29.03.2023 को प्रातः 11:00 बजे तक जमा करवाने होंगे तथा बोलीदाता को उनका GSTIN दस्तावेज, पैन ,आधार कार्ड तथा पिछले तीन सालों का आयकर रिर्टनंस जमा करवानी होगी। बैंक ड्राफट अध्यक्ष (एस0डी0एम0) नलवाड़ एवं देवता मेला कमेटी के नाम देय होना चाहिए।
2. निविदा की निर्धारित आरक्षित राशि मुवलिग 12,00,000/–(बारह लाख रू0) होगी ।
3. जिस भी बोलीदाता के पक्ष में बोली तय होगी उससे बसूल की गई धरोहर राशि कुल जमा होने बाली राशि में समायोजित की जाएगी तथा शेष बोलीदाताओं की धरोहर राशि नीलामी प्रकिया सम्पूर्ण होने के पश्चात वापिस कर दी जाएगी।
4. जिसके पक्ष में बोली तय की गई है उस व्यक्ति/पार्टी को नीलामी की आधी राशि नीलामी वाले दिन ही सांय 5:00 बजे तक तथा शेष राशि दिनांक 01.04.2025 समय बाद दोपहर 2:00 बजे तक हर हाल में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करवानी होगी अन्यथा नीलामी रदद करके धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी तथा मैदान की नीलामी दूसरे नम्बर के बोलीदाता को की जाएगी तथा धरोहर राशि प्राप्त करने हेतु अन्तिम नीलामी देने वाले बोलीदाता का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
5. यदि नीलामी देने वाला व्यक्ति/पार्टी किसी कारणवश दोषी घोषित होता है तो वह व्यक्ति/पार्टी पुनः होने वाली नीलामी में भाग नहीं ले सकता।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता आबंटित किये गये मैदान क्षेत्र के अन्दर कोई आपतिजनक दुकान स्थापित नहीं करेगा जिसमें गैम्बलिंग व अन्य असामाजिक गतिविधियां इत्यादि होनी प्रस्तावित हो। इस तरह का कोई मामला ध्यान में आया तो उस अवस्था में भी नीलामी प्राप्तकर्ता को नियमानुसार जुर्माना तय राशि में की गई बोली का 5 प्रतिशत किया जा सकता है तथा मेला मैदान आवंटन भी रदद किया जा सकता है।
7. जिस व्यक्ति के नाम मेला मैदान का आवंटन होगा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि मेला मैदान क्षेत्र के अन्दर आम जनता को आने जाने तथा आग इत्यादि नियंत्रण करने बारे सम्पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। इस बारे मैदान का नक्शा रास्ते सहित बनाया गया है जिसके हिसाव से उपरोक्त व्यवस्था करनी पडेगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये किसी भी समय निविदा को अस्वीकार या समय/तिथि में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी नीलामी प्राप्तकर्ता को आवंटित किए गये मेला मैदान के क्षेत्र को बिना कारण बताये रदद कर सकता है।
9. केवल वही फर्म या बोलीदाता इस प्रक्रिया में भाग लें जिनका अपना GSTIN नम्बर होगा और बोलीदाता बोली से पहले उसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
10. समस्त कर (Including GST) सम्बधित फर्म द्वारा ही भुगतान किया जाएगा तथा GST से सम्बंधित भुगतान की प्रतिलिपि इस कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार सन्धोल,
जिला मण्डी, हि0प्र0।
दिनांक 27/03/2025

पृ0संख्या –उपरोक्त/2025– 2316-21
प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित हैः–

1. सहायक आयुक्त (राजस्व)–एवं–तहसीलदार सन्धोल, तहसीलदार धर्मपुर तथा अधीक्षक, कार्यालय उप मण्डलाधिकारी (ना0) धर्मपुर को भेजकर अनुरोध है कि दिनांक 29.03.2025 को इस कार्यालय में उपरोक्त निलामी प्रकिया के लिए उपस्थित रहें।
2. इस कार्यालय, तहसील कार्यालय धर्मपुर, सन्धोल, खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय धर्मपुर व उप तहसील कार्यालय टिहरा व मण्डप के सूचनापटृ पर व्यापक प्रचार एवं प्रसार हेतु प्रेषित है।
3. सहायक लोक सम्पर्क अधिकारी, कार्यालय सरकाघाट को भेजकर अनुरोध है कि नीलामी सूचना से सम्बन्धित समाचार, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें।
4. श्री अखिल गुप्ता JOA (IT) के लिए इस निविदा पत्र को मेला बैबसाईट www.dharampurmela.com पर upload करने हेतु प्रेषित है।

सहायक आयुक्त (राजस्व) एवं तहसीलदार सन्धोल,
जिला मण्डी, हि0प्र0।